विशेष आलेख

स्वयं सहायता समूह

डॉ के के त्रिपाठी
डॉ एस के वाडकर

भारत की आर्थिक नीतियों में हमेशा से ही खास तौर से महिलाओं समेत गरीबों, हाशिये के लोगों और वंचित तबकों के विकास पर जोर दिया गया है। सरकार की योजनाओं में सामाजिक लामबंदी और पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यमिता तथा समुदाय के नेतृत्व में उत्पाद और उत्पादकता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। भारत में नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिये आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है।

भारत सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिये अनेक नीतिगत उपाय किये हैं। स्वयं सहायता समूहों- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) को बढ़ावा देना और आर्थिक तौर पर सक्रिय बनाना इनमें से एक है। एसएचजी निर्धन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है। इसमें शामिल लोग आम तौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। वे स्वयं सहायता और सामुदायिक प्रयासों के जरिये अपने मसलों और समस्याओं का समाधान करने के साझा मकसद से एकजुट होते हैं।

एसएचजी के जरिये महिला सशक्तीकरण का अभियान

1984 में पहली दफा प्रो यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल पर एसएचजी के गठन के जरिये सामाजिक लामबंदी और व्यावसायिक विकास के सिद्धांत को अपनाया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने गैरसरकारी संगठनों के साथ मिल कर एसएचजी और बैंक के बीच संपर्क का कार्यक्रम चलाया। उसने एसएचजी के लिये प्रोत्साहन के परिवेश को बनाया और विकसित किया। भारतीय रिजर्व बैंक-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1990 में एसएचजी को वैकल्पिक ऋण प्रवाह मॉडल के रूप में मंजूरी दी। इस तरह भारत में विकास बैंकिंग का रूपांतरण हुआ। एसएचजी को जमा और ऋण संपर्क के लिये बैंकों के समूह आधारित ग्राहक के तौर पर मंजूर किया गया। इससे एसएचजी के सदस्यों के लिये रेहन मुक्त कर्ज तथा कार्य या परियोजना के विवरण के बिना समूहों को ऋण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रो एसआर हाशिम समिति (1997) ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन और रोज़गार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस समिति ने व्यक्तिगत लाभार्थी के बजाय समूह आधारित व्यवसाय विकास के दृष्टिकोण की ओर ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की। इसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम- इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईआरडीपी) और इससे संबंधित योजनाओं का विलय कर दिया गया। इनकी जगह स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) की शुरुआत की गयी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एसएचजी के गठन के जरिये स्वरोज़गार मुहैया कराना था ताकि उन्हें 1999 और 2011 के बीच निर्धनता के जाल से निकाला जा सके।

प्रो आर राधाकृष्ण समिति (2009) ने एसजीएसवाई के कामकाज की समीक्षा की। उसने योजना की डिजाइन में परिवर्तन कर 'टॉप-डाउन' गरीबी उन्मूलन के बजाय 'समुदाय प्रबंधित आजीविका' का दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। इसके लिये राष्ट्र और राज्य से लेकर उप-जिला या प्रखंड स्तर तक संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है जो सामाजिक लामबंदी के अलावा छह से आठ साल तक लगातार समर्थन देकर निचले स्तर पर मजबूत संस्थाओं का निर्माण कर सके। यह भी महसूस किया गया कि गरीब अपनी आजीविका का

डॉ त्रिपाठी उर्वरक विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं। ईमेल: tripathy123@rediffmail.com
डॉ वाडकर पुणे स्थित वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (वैमनिकॉम) में सहायक प्रोफेसर हैं।

प्रबंध अनेक आर्थिक गतिविधियों के मिश्रण के जरिये करते हैं। इन गतिविधियों के लिये नकदी के प्रवाह, मौसम और सहायता की जरूरतें भी अलग-अलग होती हैं। एसएचजी के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी ध्यान दिया गया। एसएचजी आंदोलन को संस्थागत रूप देना जरूरी समझा गया। लिहाजा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रो राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुरूप एसजीएसवाई में बदलाव कर तीन जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) आरंभ किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा शिद्दत से ध्यान देकर इस काम में तेजी लाना था। एसजीएसवाई का एनआरएलएम में पूर्ण रूपांतरण एक अप्रैल 2013 को हो गया। अब एनआरएलएम के नाम के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) जोड़ दिया गया है। इस तरह इस योजना को मौजूदा समय में डीएवाई-एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम और महिला सशक्तीकरण

डीएवाई-एनआरएलएम को 2011 से ही मिशन के अंदाज में लागू किया जा रहा है। इसका मकसद ग्रामीण गरीब महिलाओं को एसएचजी में संगठित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिये लगातार प्रेरित करना और सहायता देना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मौजूदा डीएवाई-एनआरएलएम योजना में विभिन्न राज्यों में एसएचजी को संस्थागत रूप प्रदान करने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य निचले स्तर पर गरीबों की मजबूत संस्थाएं बना कर निर्धन परिवारों को लाभकारी स्वरोज़गार और कुशलता वाली नौकरी अपनाने में सक्षम बनाना है। इससे उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार होगा और गरीबी में कमी आयेगी। इस योजना के जरिये यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर ग्रामीण गरीब परिवार की कम-से-कम एक महिला सदस्य को एक निर्धारित अवधि के अंदर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और एसएचजी के महासंघों में शामिल किया जाये। स्वयं सहायता समूहों ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिये 2013-14 से कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये के ऋण बैंकों से हासिल किये हैं।

सभी लक्षित परिवारों को एसएचजी से जोड़ने के लिये सामाजिक लामबंदी और संस्था निर्माण के तहत तीन स्तरीय ढांचे की स्थापना पर खास जोर दिया जा रहा है। इस ढांचे में वार्ड स्तर पर एसएचजी, गांव के स्तर पर ग्राम संगठन- विलेज ऑर्गनाइजेशंस (वीओ) और प्रखंड स्तर पर समूह स्तरीय महासंघ- क्लस्टर लेवल फेडरेशंस (सीएलएफ) शामिल हैं। सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन के अलावा एसएचजी सदस्यों के आजीविका के मौजूदा विकल्पों के उन्नयन और विस्तार तथा उन्हें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने के लिये उनमें उद्यमिता की भावना पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा है (रेखाचित्र 1)।

एसएचजी आंदोलन पांच सिद्धांतों या पंचसूत्र का पालन करता है। ये पांच सिद्धांत हैं- नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, कर्ज की समय पर वापसी और अद्यतन खाते। एसएचजी इसके अलावा पांच अन्य सिद्धांतों का भी पालन करते हैं- स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, शिक्षा, पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी, लाभों और योजनाओं तक पहुंच तथा

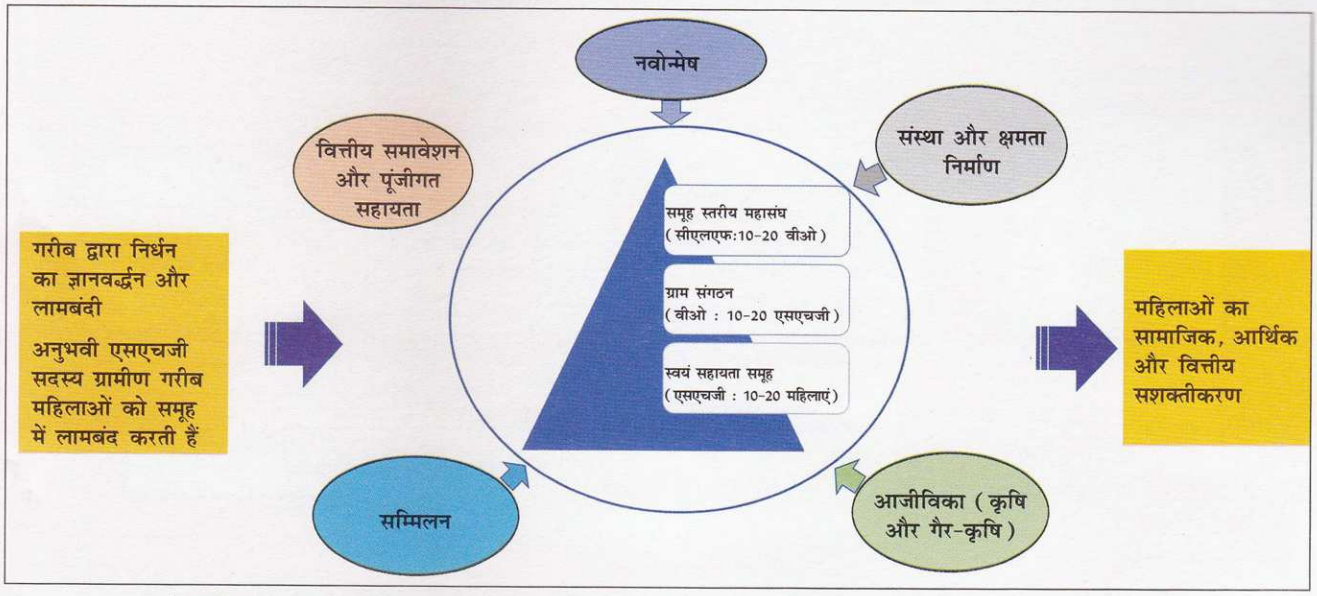

रेखाचित्र 1 : डीएवाई-एनआरएलएम की प्रमुख विशेषताएं और एसएचजी का सांस्थानिक ढांचा

संवहनीय आजीविका के अवसरों का सृजन। ये सभी मिल कर डीएवाई-एनआरएलएम के 'दशसूत्र' कहलाते हैं।

इस योजना के जरिये यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर ग्रामीण गरीब परिवार की कम-से-कम एक महिला सदस्य को एक निर्धारित अवधि के अंदर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और एसएचजी के महासंघों में शामिल किया जाये। स्वयं सहायता समूहों ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिये 2013-14 से कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये के ऋण बैंकों से हासिल किये हैं।

महिला उद्यमिता और आर्थिक प्रगति

उद्यमिता की समुचित संस्कृति का अभाव तथा सामुदायिक व्यावसायिक इकाइयों में ऋण प्रबंध से संबंधित अड़चनें अनेक आर्थिक और अन्य समस्याओं को जन्म देती हैं। लोग संगठित हों और उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जायें तो वे आर्थिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने में सक्षम होंगे तथा अपने और समूचे समाज के कल्याण में सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। किसी नये आर्थिक उद्यम में लाभ अर्जन के लिये अवसर का सही चुनाव या परियोजना की व्यावहारिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। सक्षम प्रणालियों के जरिये ही अवसरों तथा भौतिक और मानव संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन किया जा सकता है। एसएचजी आपस में ऋण के लेन-देन और बैंक कर्ज संपर्क गतिविधियों के जरिये अपनी आर्थिक इकाइयों के संचालन के लिये संसाधन पैदा करते हैं। लेकिन पेशे का उनका चुनाव अक्सर अपनी गतिविधियों के प्रबंधन, संचालन और संवहन की उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं होता। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने उद्यमिता के मुख्यत: तीन केन्द्रीय पहलुओं की पहचान की है। अनिश्चितता और जोखिम, प्रबंधन की दक्षता तथा सकारात्मक अवसरवाद या नवोन्मेष। ये तीनों पहलू लाखों एसएचजी के सशक्तीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हैं। यदि महिला एसएचजी के स्वामित्व और संचालन वाले सामुदायिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सशक्तीकरण किया जाये तो वे स्थानीय संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए इन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता के अनुरूप लाभकारी उत्पादों में परिवर्तित कर सकेंगे। इससे रोज़गार के अवसर सुनिश्चित होंगे। प्रदर्श 1 में एसएचजी इकाइयों के समुचित पेशागत चुनावों और समुदाय आधारित कार्रवाइयों के जरिये दुर्लभ संसाधनों के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिये रोज़गार और आय सृजन की गतिविधियों में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। जरूरत इस बात की है कि प्रस्तावित आर्थिक उपक्रमों का समुचित मूल्यांकन हो तथा नवोन्मेषी और इच्छित व्यावसायिक मार्गों के दोहन के साथ ही पेशे की वित्तीय और भौतिक व्यावहारिकता का कठोर विश्लेषण किया जाये।

डीएवाई-एनआरएलएम और सशक्तीकरण की प्रक्रिया

डीएवाई-एनआरएलएम दरअसल अपनी सहायता खुद करने की महत्वपूर्ण मानवीय प्रकृति पर आधारित है। इससे उन वंचितों को मदद मिल रही है जो सामाजिक तौर पर लामबंद छोटे मगर सुसंबद्ध अनौपचारिक एसएचजी में भागीदार हैं। इस योजना ने आर्थिक तौर पर

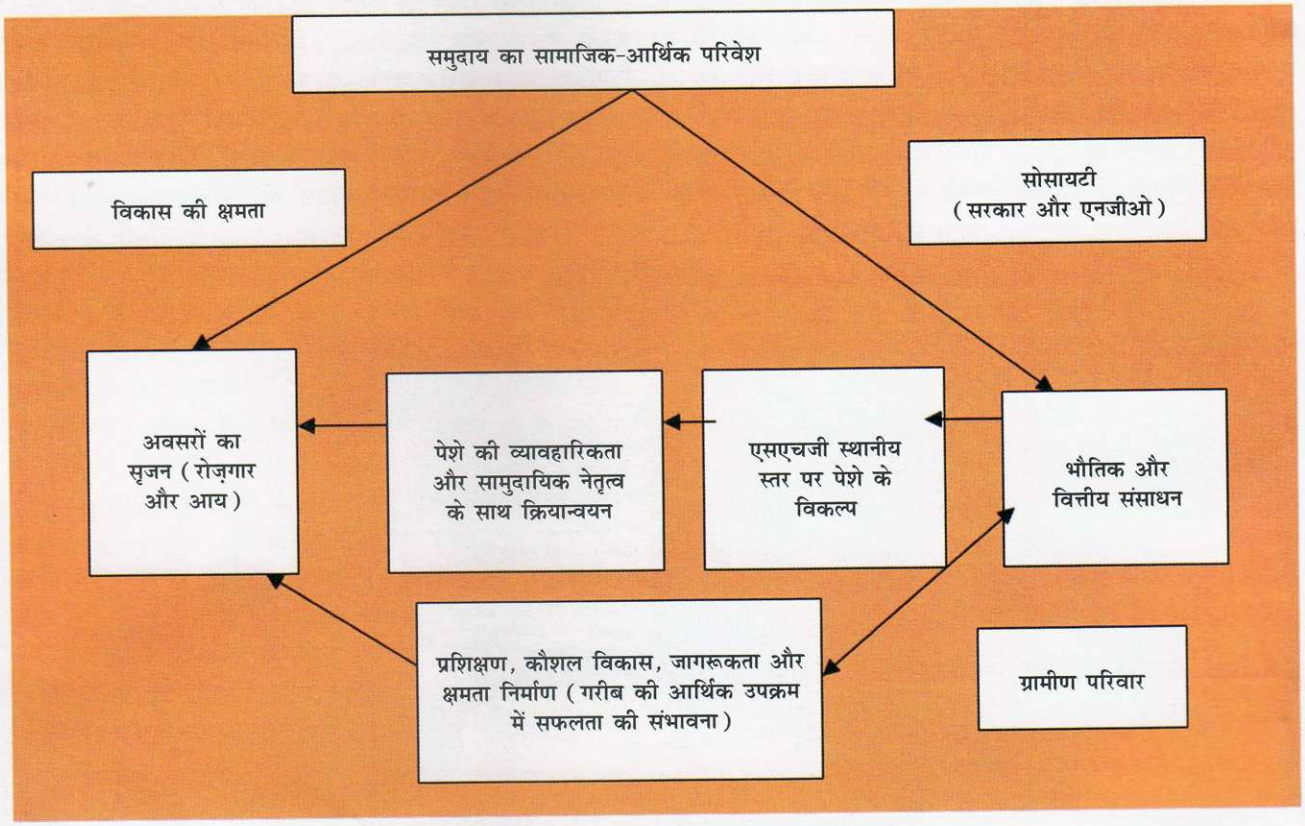

प्रदर्श 1 : एसएचजी के जरिये आर्थिक प्रगति

तालिका 1 : डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सशक्तीकरण के मापदंड, बाधाएं और समाधान

क्र. सं.	सशक्तीकरण के मापदंड	बाधाएं और समाधान
1.	सर्वव्यापी सामाजिक लामबंदी	योजनाओं का लाभ उठाने के लिये गरीबों की पहचान और समावेशन एक चुनौती रहा है। समावेशी सामुदायिक उद्यमिता सुनिश्चित करने के मकसद से ग्रामीण गरीबों की पहचान के लिये समुदाय विशेषज्ञों के विकास और उनकी सेवाएं लेने की कोशिश की जानी चाहिये। समुदाय विशेषज्ञ ही गांव और समूह की गतिकी को सबसे अच्छे ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। वे पंचायती राज संस्थाओं और अन्य प्रमुख हितधारकों को एसएचजी नेटवर्क की सहायता के लिये राजी कर सकते हैं। इससे सेवाओं तक पहुंच और उनमें सुधार लाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक प्रगति के लिये सामाजिक एकजुटता भी बढ़ेगी।
2.	गरीबों की संस्थाओं को प्रोत्साहन	महासंघों के विधिक ढांचे को लेकर सैद्धांतिक स्पष्टता का अभाव, सीएलएफ की तय भूमिका और स्वरूप में विचलन तथा व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन में इन समूह स्तरीय महासंघों की कम दक्षता कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिये वीओ और सीएलएफ स्तर पर कुशल और प्रशिक्षित प्रबंधन कर्मियों और मानव संसाधन को आकर्षित करने और जोड़े रखने के लिये जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। वार्ड स्तर पर एसएचजी, ग्राम स्तर पर वीओ और उप-प्रखंड स्तर पर सीएलएफ के तीन स्तरीय ढांचे के जरिये उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से आजीविका समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिला एसएचजी के प्रतिबद्ध कैडर का निर्माण होगा, शराब सेवन, जाति/वर्ग टकराव, बाल श्रम और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां घटेंगी तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी बढ़ेगी।
3.	प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन	समुचित प्रशिक्षण योजना, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सामग्री और विशेषज्ञ प्रशिक्षण संस्थानों के अभाव से एसएचजी की क्षमता निर्माण की पहलकदमियां प्रभावित होती हैं। विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण की जरूरत के आकलन, वक्त पर प्रशिक्षण तथा एसएचजी, उनके नेताओं, समुदाय विशेषज्ञों और सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। इससे पंचायती राज संस्थाओं समेत सभी हितधारक व्यावसायिक विकास के साथ ही सामुदायिक सशक्तीकरण में एसएचजी की संभावनाओं के बारे में जागरूक बनेंगे।
4.	सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन	एसएचजी के सभी स्तरों पर समान वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के अभाव से बैंक खातों में वृद्धि, वित्तीय साक्षरता में सुधार तथा सामुदायिक सदस्यों की समावेशन क्षमता प्रभावित होती है। वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति- दोनों ही पक्षों पर ध्यान देना, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन, पूंजीगत सहायता मुहैया कराना तथा वित्तीय संस्थानों से संपर्क वक्त की जरूरत है। सूक्ष्म बीमा सेवाओं का सर्वव्यापी कवरेज सुनिश्चित करने के लिये व्यावसायिक पत्रचार तथा सामुदायिक सहायकों और बैंक मित्रों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
5.	बहुविध और विविध आजीविकाएं	संघीय स्तर पर छोटे उद्यमों के समावेशन के लिये प्रगतिशील नेतृत्व के अभाव ने मौजूदा आजीविकाओं के विस्तार, प्रसार और पहुंच पर विपरीत प्रभाव डाला है। आजीविका की गतिविधियां ज्यादातर उपभोग के लिये हैं। उनका वाणिज्यिक उद्देश्य आम तौर पर नहीं है। इस समस्या से उबरने के लिये उन आजीविकाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है जो जोखिमों और कमियों से निपट सकें। आजीविका के मौजूदा विकल्पों को गहराई देने और विस्तार करने तथा नये अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। अवसंरचना निर्माण और विपणन सहायता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि सेवाओं तक सही समय पर पहुंच, सुरक्षा और लाभों को सुनिश्चित किया जा सके।
6.	सामुदायिक स्तर पर सहायक ढांचा	सामूहिक आजीविका गतिविधियों के समग्र विकास के लिये व्यवसाय के परिवेश का सृजन, कौशल विकास और मूल्य श्रृंखला की पहचान की जानी चाहिये। इसके साथ ही समूचे राज्य में समुचित समूह निर्माण और एसएचजी पारिस्थितिकी में सक्षम मानव संसाधन की तैनाती की आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में महिलाओं की क्षमता में सुधार से सार्वजनिक और बाजार संस्थाओं तथा योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। सम्मिलन के फ्रेमवर्क की स्थापना के जरिये ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गारशुदा उद्यमियों में तब्दील किया जा सकता है। सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ समुचित संपर्क तथा बाहरी संवेदनशील और तकनीकी सहायता ढांचे के प्रावधान से सामुदायिक संगठनों को बनाये रखने में मदद मिलेगी।
7.	योजनाओं का सम्मिलन	गरीबों की संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तालमेल लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओं का सम्मिलन वक्त की जरूरत है। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राज्यों की योजनाओं के सम्मिलन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। गैर-सरकारी और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के संग जुड़ाव से आपसी लाभ के कामकाजी रिश्ते कायम होंगे। इससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा।

वंचितों और औपचारिक वित्तीय प्रतिष्ठानों के मजबूत और संवहनीय संबंध को पहचाना और रेखांकित किया है। योजना के चार स्तंभ घनिष्ठ समूहों की महिला सदस्यों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को अपने में समेटे हैं।

इनमें से पहला स्तंभ गरीबों की संवहनीय संस्थाओं के लिये सामाजिक लामबंदी तथा उनका गठन और संवर्द्धन है। अब तक 5.6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 68 लाख एसएचजी में लामबंद किया गया है। एनआरएलएम के तहत 2.93 लाख प्राथमिक और 25467 माध्यमिक स्तरीय महासंघों का गठन किया गया है। ये समुदाय आधारित संगठन लोकतांत्रिक शासन और वित्तीय जवाबदेही की मूल भावना का पालन करते हैं। वे स्थानीय शासन और विकास में प्रभावी हिस्सेदारी निभाने के अलावा गरीब सदस्यों को प्रभावित करने वाली आजीविका संबंधी चिंताओं और सामाजिक मसलों पर चौबीसों घंटे गौर करते हैं। इसके साथ ही वे लाभों और सार्वजनिक सेवाओं तक गरीबों की पहुंच की व्यवस्था करते हैं।

ये समुदाय आधारित संगठन लोकतांत्रिक शासन और वित्तीय जवाबदेही की मूल भावना का पालन करते हैं। वे स्थानीय शासन और विकास में प्रभावी हिस्सेदारी निभाने के अलावा गरीब सदस्यों को प्रभावित करने वाली आजीविका संबंधी चिंताओं और सामाजिक मसलों पर चौबीसों घंटे गौर करते हैं। इसके साथ ही वे लाभों और सार्वजनिक सेवाओं तक गरीबों की पहुंच की व्यवस्था करते हैं।

दूसरा स्तंभ वित्तीय समावेशन का है। इसमें मांग और आपूर्ति- दोनों ही पक्षों में हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाता है। मांग पक्ष में हस्तक्षेप प्रभावी बही-खाता लेखन को प्रोत्साहित करता है। यह एसएचजी के लिये पूंजी की व्यवस्था, ऋण की समय पर वापसी की संस्कृति का निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सलाह, आवृत्ति वित्त के लिये सूक्ष्म निवेश योजना को समर्थन, समुदाय आधारित उगाही प्रणाली का संस्थानीकरण इत्यादि भी सुनिश्चित करता है (रेखाचित्र 2)। दूसरी ओर आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप सभी राज्यों में प्रांत स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की उपसमितियों के गठन की पुष्टि करता है। संपर्क यात्राओं, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के जरिये बैंकरों को एसएचजी के सिद्धांत, कामकाज और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। बैंकों की सभी शाखाओं में बैंक सखियों की तैनाती, दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी के लिये वैकल्पिक मॉडलों को प्रोत्साहन, प्रखंड से राज्य स्तर तक ऋण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन, बीमा के जरिये जोखिम निवारण इत्यादि भी आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप के दायरे में आते हैं।

महिला सशक्तीकरण का तीसरा स्तंभ 'आजीविका' है। इसके तहत गरीब परिवारों को कर्ज के जाल, खाद्य असुरक्षा, अचानक आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं तथा पलायन जैसे संकटों से निपटने में सक्षम बनाने के प्रयास किये जाते हैं। इसके तहत वैसे उपाय किये जाते हैं जिनसे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों से उन्हें संवहनीय आय हासिल हो। आय के मौजूदा और नये स्रोतों को मजबूत करने, सूक्ष्म उद्यम, स्वरोज़गार और कौशल आधारित कामकाज को बढ़ावा देने इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके तहत गतिविधियों के दायरे में संवहनीय कृषि से लेकर ऑर्गेनिक खेती, गैर-काष्ठ वन उपज, मजबूत क्षमता निर्माण ढांचा, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, परंपरागत भर्ती केन्द्र इत्यादि आते हैं। एनआरएलएम के अंतर्गत ही महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) शुरू की गयी है। इसमें लगभग 35.88 लाख महिला किसानों को गैर-रसायन आधारित कृषि, गैर-काष्ठ वन उपज, मक्का, आम और फूलों की खेती, डेयरी और बकरी पालन इत्यादि के लिये विभिन्न राज्यों में मूल्य श्रृंखला ढांचे की स्थापना के तहत सहायता दी गयी है। इन कोशिशों को जारी रखने और लगातार सहायता मुहैया कराने के लिये एनआरएलएम ने लगभग 31889 समुदाय संसाधनजनों- कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (सीआरपी) की मदद से सामुदायिक नेतृत्व वाली आजीविका विस्तार सेवाओं का सृजन किया है। यह योजना महिला एसएचजी को आजीविका की गैर-कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिये भी सक्षम बनाती है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम- स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) गैर-कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। इस पहलकदमी के जरिये 2015 से अब तक 125 प्रखंडों में 1.82 लाख उद्यमियों को सहायता दी जा चुकी है। एसवीईपी के तहत अब तक 30352 उद्यमों की स्थापना की गयी है।

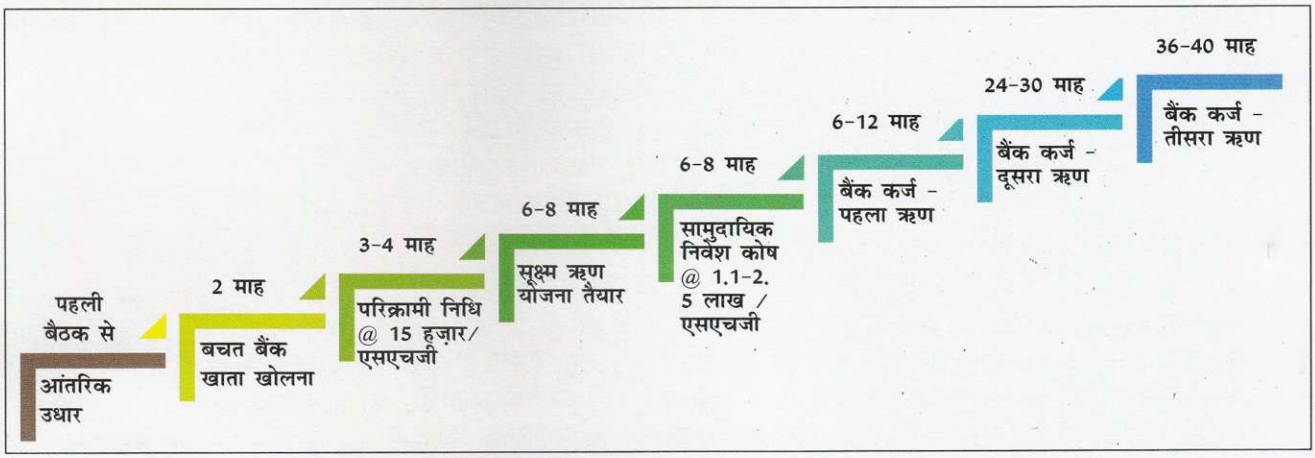

रेखाचित्र 2 : कदम-दर-कदम प्रक्रियाएं जिनसे एसएचजी का वित्तीय समावेशन हुआ

सशक्तीकरण का चौथा और आखिरी स्तंभ सामाजिक समावेशन और सम्मिलन है। विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये एसएचजी द्वारा स्थापित मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन डीएवाई-एनआरएलएम की स्वरोज़गार गतिविधियों का पंचायत संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास और अन्य कार्यों से संबंधित जिला या प्रखंड स्तरीय विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के संसाधनों के साथ सम्मिलन कर सकता है। ऐसे कदमों से सार्वजनिक निवेश का बेहतर उपयोग कर टिकाऊ, उत्पादक और संवहनीय संपत्ति के सृजन तथा ग्रामीण परिवारों के लिये आजीविका को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुद्दे और चुनौतियां

1980 के दशक में एसएचजी आंदोलन 'किफायत और बचत' पर आधारित था। लेकिन 2000 के दशक से यह डीएवाई-एनआरएलएम के तहत आजीविका आधारित आर्थिक सशक्तीकरण के तरीके में परिवर्तित हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक संगठनों के तौर पर भारत में स्थापित 70 लाख एसएचजी को 3.27 लाख वीओ और 28000 सीएलएफ में संगठित किया गया है। लेकिन इस आंदोलन को चलाये रखने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये सभी राज्यों में ऐसे ठोस और स्थिर सामुदायिक ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है जो मापनीय हो। इसके लिये ठोस संस्था निर्माण और मौजूदा सीएलएफ को कानूनी पहचान देने की जरूरत है। इसके लिये भी सावधानी से योजना बनाने और सोच-विचार की दरकार है। ज्यादातर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन- स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (एसआरएलएम) बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। वे एसएचजी महासंघों के तीन स्तरीय ढांचे को समर्थन देने के लिये विशेष कानूनों की अनुकूलता पर विचार कर रहे हैं। अधिकतर राज्य सीएलएफ के लिये एक उचित कानूनी फ्रेमवर्क की तलाश में हैं। तालिका 1 में अलग-अलग मापदंडों पर बाधाओं और उनके प्रभावी समाधान का जिक्र किया गया है।

समुदाय स्तरीय महिला उद्यमिता विकास इस बात पर निर्भर करता है कि महिलाएं सामाजिक-आर्थिक रूप से कितनी सशक्त हैं। एसएचजी जैसी सामूहिक संस्थाओं में महिलाओं का सशक्तीकरण चार मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ सामाजिक लामबंदी तथा गरीबों के लिये संवहनीय संस्थाओं का गठन और संवर्द्धन है। दूसरा स्तंभ सबके वित्तीय समावेशन का है। इसके बाद कर्ज के चक्रव्यूह, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सदमों और पलायन जैसी परेशानियों का सामना करने में सक्षम आजीविका का नंबर आता है। चौथा और आखिरी स्तंभ सामाजिक समावेशन और विभिन्न विकास योजनाओं के संसाधनों का सम्मिलन है।

डीएवाई-एनआरएलएम के ग्राम उद्यमिता विकास के दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता के लिये एक उत्प्रेरक परिवेश बनाना है। यह ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को खुद स्थानीय उद्यम अपनाने के लिये प्रेरित करता है। एसएचजी की लामबंदी तथा ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि अवसंरचना के निर्माण और संचालन के लिये उनकी सेवाओं के उपयोग से ग्रामीण विकास के प्रयासों के सम्मिलन के जरिये ग्राम आजीविका में सुधार लाने में मदद मिलेगी। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत नये और नवोन्मेषी ग्रामीण उद्यमों की स्थापना की जा रही है। इन उद्यमों के जरिये एसएचजी और किसानों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, परिवारों की आय बढ़ाना, लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी मुहैया कराना तथा सामुदायिक स्तर पर कृषि और गैर-कृषि लॉजिस्टिक्स का निर्माण संभव है। सामाजिक लामबंदी, गरीबों की संस्थाओं को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, विविध और विकेन्द्रित आजीविकाओं, संवेदनशील सहायता संरचना और योजनाबद्ध सम्मिलन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों और बाधाओं को डीएवाई-एनआरएलएम के हितधारकों के साथ विचार विमर्श से साझा रूप से सुलझाया जाये तो यह संभावना वास्तविकता में बदल जायेगी। ■